

अति-आवश्यक
स्मरण-पत्र-॥

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.3(8)पो/सबला/ICDS/2010/19618-917 जयपुर, दिनांक 2-2-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (सीकर जिले को छोड़कर)।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (सीकर जिले को छोड़कर)।

विषय:-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (पूर्व नाम सबला) योजनान्तर्गत
वर्ष 2017-18 के लिए बेस लाईन सर्वे करने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 08.12.2017

प्रसंग:-विभागीय पत्र क्रमांक 202099-436 दिनांक 28.12.2017 एवं
13145-464 दिनांक 18.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए आपके जिले में दिनांक 30.11.2018 तक किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (पूर्व नाम सबला) का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर-पोषणीय गतिविधियों से लाभान्वित किये जाने के लिए जिले में 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं का बेस लाईन सर्वे करवाकर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक आपके द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है। जो की आपका राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः निर्धारित प्रारूप में किये गये बेस लाईन सर्वे की रिपोर्ट आवश्यक रूप से 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

Mail ID - adn.wcd@rajasthan.gov.in

(शुचि शर्मा)

आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर